न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र सत्य नारायण जी अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- सदर बाजार, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- श्री राम एन्टर प्राईजेज, भावरी पुलिया के पास, सरुपगंज, जिला- सिरोही

2. उमेश कुमार अग्रवाल,
   खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर निर्माता/पैकर फर्म,
   H.M.T. Company, Shop No. 18, AMRIT LAL GEHLOT BLOCK, MANDORE KRISHI MANDI, JODHPUR (Raj.) 342007

प्रकरण संख्याः 38/2019

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह चौहान, प्रतिवादीगण की ओर से
3. प्रतिवादी महावीर प्रसाद अग्रवाल व उमेश कुमार अग्रवाल

-: निर्णय :- **दिनांक 17 जनवरी, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 10.8.2019 को समय 11.30 ए.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म श्री राम एन्टर प्राईजेज, भावरी पुलिया के पास, सरुपगंज, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र सत्य नारायण अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- सदर बाजार, सरुपगंज, जिला- सिरोही है एवं फर्म श्री राम एन्टर प्राईजेज, भावरी पुलिया के पास, सरुपगंज, जिला- सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) के 32x250 gm

....पेज दो पर

के पैक्ड पाउचेज में से 8x250 gm पैक्ड पाउचेज़ चाय (जीप ब्राण्ड) जांच हेतु खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 340/- अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खरीद रसीद बिल पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता व उपस्थित गवाह और मेरे हस्ताक्षर है। फार्म संख्या- 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा चाय (जीप ब्राण्ड) के दो-दो पाउचेज को मिलाकर चार पैकेट बनाये एवं लेबल पर कोड एवं सीरियल नं. दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं मैंनें स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1004 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता महावीर प्रसाद ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.8.2019 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 10.8.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता महावरी प्रसाद अग्रवाल से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) का नमूना S-1004 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता महावीर प्रसाद

....पेज तीन पर

अग्रवाल व निर्माता/पैकर को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर 30 दिवस में अपील आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता महावीर प्रसाद अग्रवाल एवं निर्माता/पैकर फर्म ने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादी अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 13.1.2020 को प्रतिवादीगण - महावीर प्रसाद अग्रवाल व उमेश कुमार अग्रवाल इस न्यायालय में उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने संयुक्त लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 10.8.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) का नमूना श्री राम एन्टर प्राईजेज, भावरी पुलिया के पास, सरुपगंज से लिया गया था जो कि जांच में Misbranded पाया गया है। यह खाद्य पदार्थ चाय अमानक नही पाया गया है। जांच में बैच नम्बर व Date of Paking बारिश के कारण भीग जाने की वजह से व स्याही फैल जाने की वजह से जांच में Misbranded हुआ है। यह कि बैच नं. 350 निर्माण तिथि 7/2019 का वास्ते साक्ष्य संलग्न है जिस पर Paked by H.M.T.Comp.Regd मण्डोर मण्डी, जोधपुर अंकित है। उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार है, आज ही प्रकरण में फैसला करावे, जुर्माना राशि भरने को हम तैयार है।

(3) प्रकरण में उक्तानुसार प्रतिवादीगण द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 13.1.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम से कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

.....पेज चार पर

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 10.8.2019 को 11.30 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म श्री राम एन्टर प्राईजेज, भावरी पुलिया के पास, सरुपगंज, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म श्री राम एन्टर प्राईजेज, भावरी पुलिया के पास, सरुपगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र सत्य नारायण जी अग्रवाल, निवासी- सदर बाजार, सरुपगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म श्री राम एन्टर प्राईजेज, भावरी पुलिया के पास, सरुपगंज, जिला- सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता महावीर प्रसाद अग्रवाल को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान में अलामारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) के 32 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 250 ग्राम) में से चाय (जीप ब्राण्ड) के 8 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 250 ग्राम) जांच हेतु खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 340/- (अक्षरे रुपये तीन सौ चालीस मात्र) अदा कर क्रय करने का रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता महावीर प्रसाद अग्रवाल व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। खरीद शुदा चाय (जीप ब्राण्ड) के दो-दो पैकड पाउचेज को मिलाकर टेप से चिपकाकर चार पैकेट बनाये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1004, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता महावीर प्रसाद अग्रवाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1004 को नियमानुसार गोद से चिपकर्या व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता महावीर प्रसाद अग्रवाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में

.....पेज पांच पर

लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता महावीर प्रसाद अग्रवाल व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म श्री राम एन्टर प्राईजेज, भावरी पुलिया के पास, सरुपगंज, जिला- सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता महावीर प्रसाद अग्रवाल से खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से लिफावों में रखंकर लिफावों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही के द्वारा दिनांक 13.8.2019 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 10.8.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1004 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./625/Act/2019/679 दिनांक 21.8.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री राम एन्टर प्राईजेज, भावरी पुलिया के पास, सरुपगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता महावीर प्रसाद अग्रवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 की फर्म श्री राम एन्टर प्राईजेज, सरुपगंज द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेटों को प्रतिवादी निर्माता/पैकर फर्म H.M.T. Company से जरिये वेट इनवोईस नम्बर 600 दिनांक 04.7.2019 के द्वारा क्रय किया था जो कि उक्त

....पेज छः पर

खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) की निर्माता/पैकर फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता/पैकर फर्म H.M.T. Company, Shop No. 18, AMRIT LAL GEHLOT BLOCK, MANDORE KRISHI MANDI, JODHPUR (Raj.) द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। चूंकि प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) के निर्माण, पेकिंग व विक्रय हेतु निर्माता/पैकर फर्म H.M.T. Company, Shop No. 18, AMRIT LAL GEHLOT BLOCK, MANDORE KRISHI MANDI, JODHPUR (Raj.) 342007 मुख्य रुप से दोषी है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 (महावीर प्रसाद अग्रवाल) को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत निर्माता/पैकर फर्म H.M.T. Company, Shop No. 18, AMRIT LAL GEHLOT BLOCK, MANDORE KRISHI MANDI, JODHPUR (Raj.) 342007 पर राशि रुपये 40,000/- (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म H.M.T. Company, Shop No. 18, AMRIT LAL GEHLOT BLOCK, MANDORE KRISHI MANDI, JODHPUR (Raj.) 342007 के प्रोपराईटर उमेश कुमार अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म H.M.T. Company, Shop No. 18, AMRIT LAL GEHLOT BLOCK, MANDORE KRISHI MANDI, JODHPUR (Raj.) 342007 पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.01.31 10:55:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: